

# समाहरणालय, पूर्णियाँ

(जिला नजारत प्रशाखा)

निविदा विज्ञापन संख्या 04/2013

## व्यवसायिक वाहनों का भाड़ा निर्धारण हेतु निविदा आमंत्रण

### सूचना

समाहरणालय अन्तर्गत वरीय उप समाहर्ताओं, अनुमंडल अन्तर्गत कार्यपालक दण्डाधिकारियों एवं गणमान्य अतिथियों के भ्रमण हेतु व्यवसायिक वाहनों का मासिक/दैनिक भाड़ा निर्धारण हेतु दिनांक 29.07.2013 को निविदा आमंत्रित किया गया था, जिसे रद्द कर दिया गया है। पुनः वाहनों का भाड़ा निर्धारण हेतु इच्छुक व्यक्ति से सीलबन्ध लिफाफा में दिनांक 16.08.2013 के 02.00 बजे अपराह्न तक निविदा आमंत्रित किया जाता है। जिसे उसी दिन 03.00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय वेश्म में क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा। निविदा खोलने के समय निविदादाता/उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

### निविदा की शर्तें :-

#### (1) तकनीकी शर्तें :-

- (i) निविदा के साथ 15000/- (पन्द्रह हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट/बैंक से चेक संलग्न करना होगा जो अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से भुगतये होगा।
- (ii) व्यवसायिक वाहन का निबंधन प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, Insurance पथ कर प्रमाण पत्र, चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रति भी संलग्न करना होगा।
- (iii) निविदादाता को आयकर निबंधित होने संबंधी दस्तावेज संलग्न करना होगा।
- (iv) वाहन का निबंधन निविदा दाता के नाम से होना चाहिए।
- (v) वाहन का मॉडल जून 2012 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। नये वाहनों को प्राथमिकता दी जायगी।

#### (2) वित्तीय शर्तें :-

- (i) वित्तीय निविदा में केवल वाहन भाड़ा का दर संलग्न प्रपत्र में अंकित करना होगा, तथा यह दर सभी कर सहित होना चाहिये।

#### (3) अन्य शर्तें :-

- (i) वित्तीय एवं तकनीकी निविदा अलग-अलग लिफाफा में देना होगा।
- (ii) वाहन 24 घंटे जिला प्रशासन के अधीन रहेगा। आपूर्ति की गयी वाहन में किसी प्रकार की तकनीकी खराबी होने पर तत्क्षण आपूर्तिकर्ता द्वारा दूसरी वाहन की व्यवस्था की जायगी।
- (iii) वाहन में मोबील, ब्रेक आयल आदि की आपूर्ति, वाहन मरम्मती पर व्यय तथा चालक का भुगतान आपूर्तिकर्ता को करना होगा। जिला प्रशासन द्वारा ईंधन रहित वाहन को वाहन लॉग बुक में अंकित दूरी एवं कि०मी० Reading के आधार ईंधन की आपूर्ति पर की जायगी।
- (iv) पूर्व में किसी सरकारी कार्यालय को वाहन आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ता/प्रतिष्ठान को प्राथमिकता दिया जा सकता है परन्तु उसके लिए प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
- (v) स्वीकृत प्रतिष्ठान को किराया के अतिरिक्त अन्य कोई कर अथवा शुल्क देना नहीं होगा। नियमानुसार अनुमान्य कर की कटौती विपत्र से की जायेगी।
- (vi) दर निर्धारण के पश्चात् स्वीकृत प्रतिष्ठान/आपूर्तिकर्ता को एक वर्ष का एकरारनामा करना होगा।
- (vii) इस संबंध में विस्तृत जानकारी पूर्णियाँ जिला के वेबसाइट [www.purnea.bih.nic.in](http://www.purnea.bih.nic.in) पर अथवा किसी भी कार्य दिवस को जिला नजारत शाखा, पूर्णियाँ से प्राप्त किया जा सकता है।
- (viii) निविदा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

19/30/13  
जिला प्रशाधिकारी,  
पूर्णियाँ



**ईधन रहित वाहन भाड़ा का दर अंकित करने हेतु विहित प्रपत्र**

क्र०	वाहन का प्रकार	परिचालन का स्वरूप	ईधन रहित 8 घंटा			ईधन रहित 12 घंटा			ईधन रहित 24 घंटा			AC/ Non AC प्रति मीटर परिचालन (कि०मी०में)
			दर	अतिरिक्त प्रति घंटा का दर		दर	अतिरिक्त प्रति घंटा का दर		दर	अतिरिक्त प्रति घंटा का दर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	इनोवा	AC Non Ac										
2	साफारी	AC Non Ac										
3	जायलो	AC Non Ac										
4	स्कॉर्पियो	AC Non Ac										
5	टाटा सुमो / भिक्टा / गोल्ड / क्वान्टो	AC Non Ac										
6	बोलेरो	AC Non Ac										

ईधन सहित मासिक वाहन भाड़ा का दर अंकित  
करने हेतु विहित प्रपत्र

क्र०	वाहन का प्रकार	परिचालन का स्वरूप	ईधन सहित 1000 कि०मी०	
			मासिक	
			दर	अतिरिक्त प्रति कि०मी० का दर
1	2	3	4	5
1	इनोवा	AC		
		Non Ac		
2	सफारी	AC		
		Non Ac		
3	जायलो	AC		
		Non Ac		
4	स्कॉर्पियो	AC		
		Non Ac		
5	टाटा सुमो/भिक्टा/ गोल्ड/क्वान्टो	AC		
		Non Ac		
6	बोलेरो	AC		
		Non Ac		

**ईधन रहित मासिक वाहन भाड़ा का दर अंकित**  
**करने हेतु विहित प्रपत्र**

क्र०	वाहन का प्रकार	परिचालन का स्वरूप	ईधन रहित मासिक	AC/ Non AC प्रति लीटर परिचालन (कि०मी०में)
			दर	
1	2	3	4	5
1	इनोवा	AC		
		Non Ac		
2	सफारी	AC		
		Non Ac		
3	जायलो	AC		
		Non Ac		
4	स्कॉर्पियो	AC		
		Non Ac		
5	टाटा सुमो/भिक्टा/ गोल्ड/क्वान्टो	AC		
		Non Ac		
6	बोलेरो	AC		
		Non Ac		